(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उसे पूर्णतया लागू नहीं किया गया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के सुझाव दिए हैं और उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं; और

(घ) भारत के रिज़र्व बक द्वारा उनके सुझावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT-2782/67]

(ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) ऋण लौटाने की किस्तें ग्रामतौर पर ऋण के प्रयोजन और ऋण से किए जाने वाले विकास से होने वाली निबल अतिरिक्त आय से रूप में ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है, यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जैसे कुछेक बैंकों में सभी प्रयोजनों के लिए ऋण की अवधि एक ही होती है।

(घ) इस प्रकार का कोई दृष्टांत सरकार की दृष्टि में नहीं आया है।

निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा

4963. **श्री ना० रा० पाटिल** : क्या विधि मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन याचिकाओं के निपटारों में इस कारण देरी होती है कि समय पर नोटिस न दिए जानें के कारण याचिकाओं की सुनवाई बार-बार अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है; और

(ख) क्या वर्तमान विधि में समुचित संशोधन करके छः महीनों के अन्दर-अन्दर निर्वाचन यचिकाओं का निपटारा किए जानें के लिए अवधि निर्धारित करनें का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि विधि के वर्तमान उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अर्जियों के लिए विचारण के उच्च-न्यायालय सीधे ही उत्तरदायी होते हैं।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उप-धारा (7) के अलावा, जिसमें कि यह उपबन्ध है कि उच्च-न्यायालय अर्जी के उपस्थापन की तारीख से छः मास के भीतर अर्जियों के विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे इन निर्वाचन अर्जियों, के निपटाने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है क्योंकि वह विधि के अधीन नियत नहीं की जा सकती। न्यायालयों के विवेकाधिकार और उनकी स्वतन्त्रता को सविदित कारणों से इस तरह से बांधा और निर्बन्धित नहीं किया जा सकता। ऐसी अगणित यथार्थ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें विचारण को छह मास की कालावधि के भीतर समाप्त करना सम्भव नहीं हो सकता और न वांछनीय ही हो सकता है।

PAY SCALES OF TELEGRAPH MASTERS

4964. **SHRI K. P. SINGH DEO**: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a disparity in the pay scales of Telegraph Masters selected prior to 1958 and L.S.G. Telegraph Masters, whereas their duties in the Telegraph Offices are identical;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to remove this disparity?